मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक F 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश ।

विषय - रिक्त पदों के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबन्धित नीति-निर्देश ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा-अधिकारी, ग्रंथपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने एवं स्थानांतरण से पदस्थापना के उपरांत विस्थापित (Fall Out) अतिथि विद्ववानों को रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्ववान के रूप में पुन: कार्य पर रखा जावे । इस अनुक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के लिए प्राध्यापक, सहायक प्रध्यापक, क्रीड़ा-अधिकारी तथा ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित होकर कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबंधित पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए विस्थापित होने वाले अतिथि विद्वानों को पुन: कार्य का अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य के साथ "अतिथि विद्वान व्यवस्था" को संचालित किये जाने हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. **सामान्य:**

1.1 अतिथि विदवानों की व्यवस्था महाविदयालयों में केवल स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के शिक्षकीय रिक्त पदों के विरूद्ध ही की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस विषय के प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक का पद रिक्त होगा, उसी विषय का अतिथि विद्वान आमंत्रित किया जाएगा।

1.2 संस्कृत महाविदयालयों के अराजपत्रित संवर्ग के शिक्षकीय रिक्त पदों के विरूद्ध संबधित महाविदयालय द्वारा नियमानुसार व्यवस्था अपने स्तर पर की जावेगी।

1.3 रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी-संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जाएगी।

1.4 संबन्धित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की

नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप वांछित है, तथापि रिक्तियों की बडी संख्या को देखते हुए सत्र 2019-20 में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अतिथि विद्वान इस व्यवस्था के अंतर्गत भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

1.5 अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक-सेवक" नहीं माने जाएँगे।

2. आमंत्रण की प्रक्रिया:

आमंत्रण की प्रक्रिया में केवल वही अतिथि विद्वान भाग ले सकेंगे जो आमंत्रण के सत्र के विगत सत्र में किसी शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

2.1 किसी महाविद्यालय में विगत सत्र में कार्यरत अतिथि विद्ववान को उसके विषय का रिक्त पद उपलब्ध होने पर उस महाविद्यालय का प्राचार्य सत्रारंभ पर इस निर्देश में वर्णित वरीयता की निर्धारण की विधि से निर्धारित हो रहे वरीयता क्रम में स्वत: आमंत्रित कर सकेगा।

2.2 स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबधित प्रारूप-पत्र विभागीय पोर्टल से डाउनलोड करते हुए प्राचार्यों द्वारा नियमित प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल को कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तदनुसार किसी महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा प्राचार्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि संबन्धित प्राचार्य के अनुसार कार्यभार के आधार पर उक्त रिक्तियों में से किसी पर अतिथि विद्वान को आमंत्रित किए जाने की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य द्वारा उस रिक्ति को पोर्टल पर लॉक (Lock) कर दिया जाएगा। लॉक की गई रिक्तियों पर विस्थापित (Fall Out) अतिथि विद्वानों का आवंटन नहीं होगा तथा लॉक किये जाने वाले सत्र में महाविद्यालय स्तर पर इन्हें अनलॉक (Unlock) नहीं किया जा सकेगा ।

2.3 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दर्ज याचिका क्रमांक WP 9368/2016 में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में आमंत्रण पत्र उन अतिथि विद्वानों को ही जारी किया जाएगा, जो रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रण के सत्र के विगत अकादमिक सत्र में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत थे । किसी भी नवीन अभ्यर्थी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

2.4 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण सम्पूर्ण वर्ष अर्थात 12 माह के लिए प्राचार्य द्वारा जनभागीदारी समिति के सचिव की हैसियत से किया जाएगा।

2.5 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि विद्वान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी एवं इसकी पुष्टि पोर्टल पर निर्धारित अवधि में की जावेगी।

2.6 अतिथि विद्वानों द्वारा किए गए कार्य का लाभ भविष्य में दिये जाने के लिए 12 माह को एक शिक्षण सत्र माना जायेगा।

2.7 प्रतिवर्ष अकादमिक सत्रारंभ के पूर्व केवल एक बार के लिए अतिथि विद्वानों को उनकी योग्यता के डाटा में सुधार का अवसर दिया जाएगा ताकि यदि उनकी उपाधि में कोई वृद्धि हुई हो तो उसे रिकार्ड किया जा सके। इस परिवर्तन का सत्यापन मूल अभिलेख के आधार पर संबन्धित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। उपरोक्तानुसार दर्ज योग्यता के आधार पर ही आमंत्रण की प्रक्रिया सम्पूर्ण वर्ष सम्पादित होगी।

2.8 अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । इसके लिए अतिथि विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

2.9 अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

2.10 इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अध्यधीन होगी।

3. **नियमित पदस्थापना/नियुक्ति होने पर की जाने वाली प्रक्रिया :-**

3.1 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध अतिथि विद्वान को कार्यरत नहीं रखा जाएगा।

3.2 किसी महाविद्यालय में उपरोक्तानुसार नियमित पदस्थापना होने पर कार्यरत अतिथि विद्वान को विस्थापित (Fall-Out) किया जाएगा एवं विस्थापित (Fall-Out) होने की जानकारी पोर्टल पर प्राचार्य द्वारा दर्ज की जाएगी ।

3.3 नियुक्ति या स्थानांतरण से पदस्थापना होने पर अतिथि विद्वानों को श्रेणी तथा मेरिट-अंकों की वरीयता के आधार पर विस्थापित (Fall-Out) किया जाएगा। सर्वप्रथम न्यूनतम

वरीयता वाले अतिथि विद्वान को विस्थापित (Fall-Out) किया जाएगा। वरीयता का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से आवंटन की नीति के अनुसार किया जाएगा।

4. विस्थापित (Fall-Out) होने पर आमंत्रण :

4.1 विस्थापित (Fall-Out) होने पर आमंत्रण प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी।

4.2 विस्थापित (Fall-Out) अतिथि विद्वान पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं मेरिट अंक तथा श्रेणी के निर्धारित वरीयता क्रम में उन्हें महाविद्यालय आवंटित कर आवंटन-पत्रक जारी किया जाएगा। संचालनालय द्वारा इस प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की जाएगी एवं प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे।

4.3 अंतिम मेरिट सूची अतिथि विद्वान द्वारा पूर्व में पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापित स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनायी जायेगी, परन्तु सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी और ग्रंथपाल के पद पर अतिथि विद्वान के आमंत्रण हेतु वरीयता का क्रम निम्नानुसार रहेगाः

श्रेणी - 1 : संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट
श्रेणी - 2 : संबंधित विषय में पी-एच.डी. अथवा नेट/सेट
श्रेणी - 3 : संबंधित विषय में एम.फिल.
श्रेणी - 4 : न्यूनतम अहर्ता वाले आवेदक (स्नातकोत्तर योग्यताधारी)

टीप : श्रेणी-1 एंव श्रेणी-2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के आवेदकों पर विचार किया जावेगा।

4.4 **अनुभव हेतु अंक** :- अतिथि विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के अंकों के साथ वर्ष 2016 -17 तथा इसके पश्चात किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंकों को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक अतिथि विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे, जिन्हे असत्य पाए जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राचार्य द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा । यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड के मध्य चार अंक तथा 101 से 150 कालखण्ड के मध्य तीन अंक, 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा। संस्कृत महाविद्यालयों के अराजपत्रित शिक्षकों हेतु 100 कार्य दिवस हेतु 2 अंक एवं 50 कार्य दिवस एवं उससे कम पर 1 अंक दिया जाएगा।

टीप : क्रीड़ा-अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिए कालखण्ड के स्थान पर कार्य दिवस प्रतिस्थापित करते हुए अनुभव के अंकों का निर्धारण किया जाएगा।

4.5 समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार नि:शक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

4.6 <u>मेरिट-अंकों की गणना:</u> स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, अनुसूचित जाति का है, नि:शक्तजन भी है एवं 5 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे :

स्नातकोत्तर- 25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिभार-7.5, नि:शक्तजन के लिए अधिभार-7.5, अनुभव का अधिभार- 20, कुल मेरिट का अंक = 60.

4.7 <u>वरीयता का निर्धारण:</u> सर्वप्रथम श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी-1 के अतिथि विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी समान होने पर मेरिट अंकों की वरीयता देखी जाएगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वान को वरीयता दी जाएगी।

4.8 आवंटन प्राप्त करने वाले विस्थापित (Fall-Out) अतिथि विद्वान आवंटित महाविद्यालय में 03 कार्य दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4.9 प्राचार्य का दायित्व होगा कि उपरोक्त प्रक्रियान्तर्गत अतिथि विद्वान के कार्य पर उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति उसी दिवस में सायं 05:30 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माड्यूल में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे सर्वसंबंधित विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आमंत्रण की जानकारी से अवगत हो सकेंगे।

4.10 आमंत्रण-पत्र प्राचार्य द्वारा सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किया जाएगा। यह आमंत्रण पत्र आवेदक द्वारा आवंटन-पत्रक संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुति के दिनांक से जारी किया जाएगा। आवंटन-पत्रक में अंकित अंतिम तिथि के बाद आमंत्रण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4.11 आवेदन उपरांत संबंधित चयनित आवेदक यदि समय सीमा में आमंत्रण स्वीकार करने हेतु कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4.12 विस्थापित (Fall-Out) होने के उपरांत आवेदन करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की उपरोक्त प्रक्रिया आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण वर्ष साप्ताहिक चक्र में संचालनालय के माध्यम से संपादित की जा सकती है।

5. मानदेय का निर्धारण :-

5.1 अतिथि विद्वानों को प्रति दिवस रूपये 1,500/- का मानदेय दिया जाएगा । इनकी कार्य अवधि सम्पूर्ण वर्ष रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषप्रद कार्य करने पर प्रतिमाह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा :-

<u>मानदेय की गणना की विधि:</u>

क. 20 या इससे अधिक कार्य दिवस होने पर-

कुल मानदेय = संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या X1500/-

ख. 20 से कम कार्य दिवस होने पर-

$$\text{कुल मानदेय} = \frac{30000 \times \text{संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या}}{\text{माह में कुल कार्यदिवसों की संख्या}}$$

टीप : यह स्पष्ट किया जाता है, कि "विस्थापित (Fall-Out)" की अवधि का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। विस्थापित (Fall-Out) के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ही उपरोक्तानुसार मानदेय देय होगा।

5.2 अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा राशि महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

5.3 उपरोक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित तथा रिक्त पदों की जानकारी सहित) प्राचार्य द्वारा संचालनालय की बजट शाखा को भेजा जाएगा।

6. अन्य:-

6.1 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा वेब-पोर्टल पर दर्ज की जानी अनिवार्य होगी।

6.2 अतिथि विद्वान को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6.3 अतिथि विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा के अर्जित अंकों एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

6.4 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

6.5 कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ प्राचार्य के निर्देशानुसार प्रशासकीय-कार्य, अकादमिक एवं पाठ्येत्तरकार्यों यथा- प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा-उत्सव आदि में अतिथि विद्वान सहयोग प्रदान करेंगे।

6.6 अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय में प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि विद्वानों की कक्षाओं/कार्यों की समय-सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

6.7 श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के अतिथि विद्वानों से आवश्यक होने पर ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराया जाये, अन्यथा वे केवल स्नातक कक्षाओं तक ही शिक्षण का कार्य करेंगे।

6.8 प्रसूति के कारण अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि विद्वानों को प्राचार्य द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा प्रसूति अवकाश के दौरान उस महिला अतिथि विद्वान के स्थान पर कोई अन्य अतिथि विद्वान आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के समय इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला अतिथि विद्वान द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना कार्य पूर्ण किया जाएगा।

6.9 अतिथि विद्वानों के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाएगा एवं यदि किसी विषय विशेष में संचालनालय से मार्गदर्शन अथवा निर्देशन की आवश्यकता होती है तो क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

6.10 आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को होगा।

6.11 यह आदेश मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति (आइटम क्रमांक 24, दिनाकं 11 दिसम्बर 2019) के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/12/19

(संजीव जैन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक F 1-42/2017/38-1

भोपाल, दिनांक 17-12-2019

प्रतिलिपिः

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी,उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, मध्यप्रदेश।
11. अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-1/वि.क.अ. शाखा-2/शाखा-3/सी.सी. सेल, मंत्रालय, भोपाल।
12. उपसचिव, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विटठ्न मार्केट , भोपाल।
13. समस्त अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
14. समस्त कोषालय एवं उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेशकीओरसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. कम्प्यूटर सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

अवर सचिव 17/12/19
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

GOPAL PRASAD CHAUDHARI

Digitally signed by GOPAL PRASAD CHAUDHARI
Date: 2023.07.04 12:37:11 +05'30'